

प्रेषक,
महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
सेवा में,
समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दि0नि0/52/2017-18/3363-75 दिनांक:10 अगस्त 2017
विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2017-18 हेतु शहरी आशा योजना के सम्बन्ध में
दिशा-निर्देश।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण कराया जा रहा है तथा अधिकांश शहरों/कस्बों में प्रशिक्षणोंपरान्त उनके द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इन आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

शहरी आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं-

1. शहरी आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

आशा, समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करने के साथ ही शहरी आबादी के वंचित वर्गों विशेषतय: महिलाओं एवं बच्चों को समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त शहरी आशा निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी-

- 1.1 गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, सम्पूरक आहार, टीकाकरण के सम्बन्ध में महिलाओं को परामर्श प्रदान करना।
- 1.2 गर्भवती महिला अथवा बच्चे को उपचार की आवश्यकता पड़ने पर एक पूर्व निर्धारित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र यथा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई पर साथ लेकर जाना अथवा संदर्भन के लिए प्रबन्ध करना।
- 1.3 प्रशिक्षण पश्चात (6-7 मॉड्यूल प्रथम चरण के पश्चात) गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) कार्यक्रम में आशा द्वारा जन्म से 42 दिन तक नवजात शिशु एवं माँ की 6 से 7 बार गृह भ्रमण के दौरान देखभाल करना।
- 1.4 सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- 1.5 सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सामग्री जैसे- ओ0आर0एस0, आयरन की गोलियों, क्लोरोक्विन, डी.डी. किट, गर्भनिरोधक गोलियों तथा कण्डोम, आकस्मिक गर्भनिरोधक गोली आदि के लिए डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना।
- 1.6 प्रजनन तंत्र/यौन जनित संक्रमण के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्रदान करना।

- 1.7 आशा द्वारा ए.एन.एम. के साथ मिलकर अपने कार्यक्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों के गठन एवं विकास में सहयोग करना एवं महिला आरोग्य समितियों के सहयोग से स्वास्थ्य योजना तैयार करना।
- 1.8 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
- 1.9 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।
- 1.10 अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित घरों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने हेतु परिवार को प्रेरित करना, नगरीय क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण इकाईयों को सूचित करना तथा समुदाय में फैलने वाले अन्य रोगों की सूचना नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराना।
- 1.11 विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना।
- 1.12 पुनरक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉट्स प्रदाता के रूप में कार्य करना।
- 1.13 अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिन्द से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा चिकित्सालय/कैम्प में संदर्भित करना।
- 1.14 सामान्य रोगों, यथा-दस्त, बुखार, हल्की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर आवश्यकतानुसार संदर्भित करना।
- 1.15 अल्पसेवित, असेवित, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग न कर पाने में सक्षम परिवारों पर विशेष ध्यान देना।
- 1.16 उपरोक्त के अतिरिक्त शहरी आशा के सम्बन्ध में केन्द्र अथवा राज्य स्तर से निर्धारित अन्य कार्यों का संपादन करना।
- 1.17 शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका को अद्युनांत करना।

आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा-निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं-

2. शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि

शहरी आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। प्रतिपूर्ति राशियों में ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें शहरी आशा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों एवं सेवाओं का उल्लेख करती है। जिसकी सहायता से शहरी आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलती है एवं शहरी आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शहरी आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में ₹0 1000/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है-

एफ.एम. आर. कोड	क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रु0 में)
P.6.1.B	1	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
	2	महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर	150
	3	शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय	150
	4	वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर	100
	5	शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	100
	6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
	7	ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
	8	योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि			1000

*उपरोक्त गतिविधियों में से जब तक महिला आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, तब तक उक्त मद में अधिकतम धनराशि कुल रु0 850/- प्रतिमाह ही अनुमन्य होगी

- 2.1 शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर— शहरी आशा द्वारा शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पूर्व समस्त लाभार्थियों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी। शहरी आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु रु0 200/- प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- 2.2 महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर — शहरी आशा द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र में गठित महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं सदस्य सचिव के रूप में समस्त कार्यविधि को भी अभिलेखीकृत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे। उक्त बैठक के अंतर्गत आने वाली समस्त शहरी आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर रु0 150/- दिया जायेगा।
- 2.3 शहरी आशाओं को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक क्लस्टर बैठक में भाग लेने हेतु— शहरी आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठकों का आयोजन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह रु0 150/- प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- 2.4 कार्य क्षेत्र में सर्वे को अद्यतन करना — उक्त मद के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में प्रत्येक माह अद्यतन करना होगा। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। इस कार्य हेतु शहरी आशा को रु0 100/- प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। आशा को प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में वार्ड सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होंगी।
- 2.5 शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर— शहरी आशा को अपने सूचकांक रजिस्टर को मासिक आधार पर अद्यतन रखना होगा तथा अपने

कार्यक्षेत्र में समस्त जन्मों एवं मृत्युओं के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना। इस कार्य हेतु आशा को रू0 100/- प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है।

- 2.6 टीकाकरण हेतु ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर-** रजिस्टर में सम्बन्धित भाग में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों (टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं) की सूची तैयार करनी है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 100/- प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण रूप से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय-समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट बनाते समय अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 2.7 ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शहरी आशाओं से अपेक्षा की जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर पंजीकरण तथा न्यूनतम 3 प्रसव पूर्व जाँचें करायेगी एवं संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करें जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह रू0 100/- प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत शहरी आशा गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का चिन्हीकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण का विवरण शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है।
- 2.8 योग्य दम्पतियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर-** शहरी आशा, अपने शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पतियों के विवरण से सम्बन्धित है, क्षेत्र के रहने वाले समस्त योग्य दम्पतियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। इस कार्य हेतु रू0 100/- प्रतिमाह का प्राविधान किया गया है।

नोट- यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में शहरी आशा को भुगतान किया जायेगा। उदाहरण- यदि किसी कारणवश शहरी आशा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करती है एवं शहरी आशा द्वारा अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग किया गया है तो उस दशा में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग नहीं करने हेतु अनुमोदित राशि रू0 200/- का भुगतान नहीं किया जायेगा।

शहरी आशा द्वारा नियमित गतिविधियों के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि अन्य कार्यक्रमों में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर प्रतिपूर्ति राशियों का प्राविधान है। जिसके विस्तृत दिशा-निर्देश सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित किये जा रहे हैं।

3. शहरी आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश-

ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरी क्षेत्रों में भी संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे जे0एस0वाई0, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को प्रतिपूर्ति धनराशि राशि दी जानी है, परन्तु एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बैंक खाता न होने के कारण इसका लाभ अरबन आशा एवं लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है। नई बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार एन0यू0एच0एम0 का खाता जनपद स्तर पर ही संचालित है तथा वर्तमान में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बैंक खाता खोले जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बंध में निम्न व्यवस्था की गयी है-

- 3.1 एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत अनुमोदित आशा प्रतिपूर्ति राशि तथा आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत अनुमोदित आशा प्रतिपूर्ति राशि का अलग अलग वाउचर बनाया जायेगा। (संलग्नक-1)
- 3.2 जिन आशाओं ने 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। शहरी आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये ही भुगतान किया जायेगा।
- 3.3 शहरी आशा द्वारा विगत माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख तक की गयी समस्त गतिविधियों का विवरण आशा पेमेन्ट वाउचर में अंकित कर माह की 25 तारीख तक क्षेत्रीय ए.एन.एम. को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, साथ ही ए.एन.एम. का भी यह दायित्व होगा कि माह कि 25 तारीख तक अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं से वाउचर एकत्र कर लें।
- 3.4 ए.एन.एम. द्वारा माह की 30 तारीख तक वाउचर में अंकित गतिविधियों का सत्यापन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा दिये जायेंगे। ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शहरी आशा द्वारा किये गये कार्यों का नियमित सत्यापन कर शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में अंकित कर देना चाहिए, इससे माह के अन्त में वाउचर के सत्यापन में आसानी होगी। यदि ए.एन.एम. अपने सम्बन्धित शहरी आशाओं द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन माह में होने वाली मासिक बैठक से पूर्व ही कर लेती है, तो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाली मासिक बैठक में शहरी आशाओं के क्षमता निर्माण हेतु व अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।
- 3.5 एन0यू0एच0एम0 के अन्तर्गत जनपद में तैनात डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा प्रत्येक आशा का एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल एव आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत किये गये कार्यों के अनुसार भुगतान हेतु धनराशि के अलग अलग वाउचर के अनुसार दोनों फ्लैक्सीपूल की अलग अलग सूची तैयार करेंगे। डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा तैयार सूची को अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एवं नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 द्वारा अगले माह की 2 तारीख तक परीक्षण कर सत्यापित किया जायेगा।
- 3.6 जिला मुख्यालय पर संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु माह के अन्त में डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को जनपदीय नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 के पास तथा आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को ए0सी0एम0ओ0 आर0सी0एच0 /कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करेंगे तत्पश्चात उनके द्वारा अगले माह की 5 तारीख तक जनपद मुख्यालय स्तर पर संचालित एन0यू0एच0एम0 /आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के टीयर-1 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3.7 जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य शहरों/कस्बों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को जनपदीय नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 के पास तथा आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिस इकाई से उस क्षेत्र की ग्रामीण आशाओं का भुगतान किया जाता है, भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। ब्लाक स्तरीय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के टीयर-1 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

- 3.8 लखनऊ शहर में 08 बाल एवं महिला चिकित्सालाय एवं प्रसूति गृह नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित है तथा 52 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। इन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विभाजन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार किया गया है। अतः लखनऊ शहर में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत कार्यरत आशाओं के आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सम्बंधित नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी तथा चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के टीयर-2 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3.9 अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के अतिरिक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाले प्रसव के लाभार्थियों का भुगतान उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।
- 3.10 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि समस्त वाउचर भुगतान के पश्चात् शहरी आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर पर अंकित करा दिया जाये।
- 3.11 अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर जनपद के समस्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी देंगे तथा समस्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशा पेमेंट रजिस्टर उपलब्ध कराना, एवं नियमानुसार वाउचरों का अंकन नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। (संलग्नक-2)
- 3.12 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशा भुगतान की संकलित सूचना माह की 10 तारीख तक प्रपत्र 3 पर अरबन कोऑर्डिनेटर/अरबन नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये। अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रपत्र 4 पर माह की 12 तारीख तक राज्य स्तर (राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/परिवार कल्याण महानिदेशालय) को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। (संलग्नक-3 व 4)
- 3.13 जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि का विस्तृत विवरण प्रपत्र-3 के अनुरूप अंकित की जाये।
- 3.14 आगामी माह की शहरी आशाओं की मासिक क्लस्टर बैठक में आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सूचनापट्ट पर चरपा करवा दी जाये।
- 3.15 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशाओं को किये गये भुगतान राशि को मासिक आधार पर आशा डाटा बेस में अंकन किया जाये। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उक्त अंकन में आशा को माह में प्राप्त होने वाली समस्त प्रतिपूर्ति राशियों को सम्मिलित किया जाये।
- 3.16 भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित विवरण जनपद स्तर पर उपलब्ध "आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर" DCAA द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। साथ ही मास्टर पेमेंट की Soft Copy कम्प्यूटर में Excel Sheet में भी बना ली जाये, जिससे अनुश्रवण में आसानी हो। निर्धारित वाउचर एवं प्रपत्रों के प्रारूप में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये, ऐसा करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।
- 3.17 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में

- जानकारी एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं की क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।
- 3.18 किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये। जनपद में आशा भुगतान हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी (NUHM) एवं अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। आशा भुगतान की प्रतिमाह जनपद स्तर पर समीक्षा की जाये एवं इसे जिला स्वास्थ्य समिति के नियमित एजेण्डा में भी सम्मिलित किया जाये।
- 3.19 यदि किसी शहरी आशा को भुगतान प्रपत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में DCAA प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन देना सुनिश्चित करें।
- 3.20 शहरी आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।
- 3.21 प्रभारी चिकित्साधिकारी अथवा DCAA द्वारा यदि आशा भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर ली जाये।

4. अनुश्रवण एव मूल्यांकन

- 4.1 जिला स्तर के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से शहरी प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।
- 4.2 इसी प्रकार आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों द्वारा भी अपने भ्रमण के दौरान आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की जानकारी प्राप्त किया जाना चाहिए जिससे वे आशा मेन्टॉरिंग समूह की बैठक में सदस्यों को अवगत करा सकें।

5. आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु आशा वाउचर एवं आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर हेतु दिशा-निर्देश-

- वर्ष 2017-18 में आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर एवं आशा मास्टर पेमेंट रजिस्टर उपलब्ध कराने एवं रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् हैं-
- 5.1 आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट छपवाकर प्रत्येक आशा को वितरित की जानी है। वाउचर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
- 5.2 प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स के दो प्रतियों (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात् 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2017-18 के FMR Code P.6.1.5.D के अन्तर्गत इस हेतु अधिकतम रु0 25 प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत् होंगे।

क्र0सं0	उपयोग	जी0एस0एम0	लम्बाई X चौड़ाई
1	मिशन फ्लैक्सीपूल मद की वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

- 5.3 बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जाय। प्रथम पन्ना सफेद रंग का दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।
- 5.4 वर्तमान वित्तीय वर्ष के वाउचर शीघ्र अतिशीघ्र छपवाकर भुगतान हेतु प्रयोग में लायें जायें।

5.5 आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु जनपद स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2017-18 के FMR Code P.6.1.5.B के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के लिये अधिकतम रू० 150.00 प्रति रजिस्टर प्रति जनपद के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है। रजिस्टर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-2)

6. शहरी आशा को ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशा निर्देश-

आशा ड्रग किट का उद्देश्य प्रदेश की समस्त शहरी आशाओं को आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार सामान्य रोग जैसे- दस्त, बुखार आदि के आरम्भिक प्रबन्धन परिवार नियोजन सामग्रियों के वितरण आदि के लिए ड्रग किट दी रही है।

भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी मॉडल दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को शहरी आशाओं को दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

6.1 शहरी आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची

क्र.स.	दवा / सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट	3
2	पैरासीटामाल टैबलेट	20
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां	400
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट	20
5	जिंक टेबलेट	50
6	ओआरएस के पैकेट	10
7	निश्चय किट	3
8	कण्डोम (3 का पैकेट)	30
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)	10
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली	10
11	साबुन	1
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)	1
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब	1
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर	2

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्यकताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

6.2 शहरी आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश-

आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह होना चाहिए कि दवायें अलग-अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि शहरी आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

6.3 आशा ड्रग किट की नियमित रिफिलिंग की जायेगी- प्रारम्भ में दी गयी मात्रा के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त शहरी आशाओं की संख्या के आधार पर ए.एन.एम. समस्त सामग्री नगरीय

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आशाओं को उपरोक्त सामग्री वितरित करेगी।

- 6.4 शहरी आशाओं के मासिक बैठक के दौरान आशायें अपनी शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित ए.एन.एम. शहरी आशा को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे ए.एन.एम. द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

क्र.स.	दवा/सामग्री	शहरी आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशाद्वारा उपयोग की गयी मात्रा	क्षेत्र की सभी शहरी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डी.डी.के. किट					
2	पैरासीटामॉल टैबलेट					
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां					
4	डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट					
5	जिंक टैबलेट					
6	ओ.आर.एस. के पैकट					
7	निश्चय किट					
8	कण्डोम					
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)					
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली					
11	साबुन					
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)					
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब					
14	पट्टियां 4 से.मी. X 4 मीटर					

- 6.5 ए.एन.एम. प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगी, तत्पश्चात् आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। उक्त दवा एवं सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फार्मासिस्ट की निगरानी में रखा जायेगा।
- 6.6 रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में अंकित करेगी।
- 6.7 आशा को ड्रग किट में प्रदान की जाने वाली दवाओं का वितरण पत्र के साथ संलग्न है, जिसको प्रत्येक आशा मासिक बैठक में आशाओं को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जाये। (संलग्नक-6)
- 6.8 शहरी आशा के लिए नवीन आषा किट के लिए वित्तिय दिशा-निर्देश-

वर्ष 2016-17 के FMR Code P.6.1.C के अर्न्तगत नवीन शहरी आशाओं के लिए रु0 750/- अनुमोदित किया गया है। इन नवीन शहरी आशाओं को रु0 450/- की दर से बैग और रु0 300/- औषधियों हेतु अवमुक्त किया जा रहा है। जिसका मानक ग्रामीण आशाओं के दिशा-निर्देश के अनुरूप निश्चित किया गया है।

6.8.1 नवीन आशाओं को दिये जानें वाले बैग हेतु मानक -

- 18x13 inch with bollom 4 inch.
- Denial Fine Matty cloth (Black Colour).
- Three pocket.
- One side nylon bottle holder with elastic.
- One set hanging holder strip with adjuster.
- Two handle for holding.
- Font side logo in two colour.
- Fine quality 8 number zip with stainless stell adjuster.

उपरोक्त दिये गये मानकों के अनुसार समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर क्रय किये जाएंगे।

❖ नवीन शहरी आशाओं को बैग वितरण हेतु व्यवस्था-

- क्रय किये गये बैग को जनपद स्तर पर स्टोक बुक में अंकित किया जाय एवं नवीन चयनित शहरी आशाओं के 8 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण के उपरान्त ही प्रशिक्षित शहरी आशाओं को बैग का वितरण किया जाये।

7. शहरी आशा मासिक बैठक

प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन एवं शहरी आशाओं का नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिमाह शहरी आशा मासिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। शहरी आशा मासिक बैठकों में आशाओं के क्षमता वर्द्धन के साथ-साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों एवं नवीन कार्यक्रमों के बारे में आशाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी है। प्रत्येक माह नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर समस्त शहरी आशाओं की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्साअधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम. (जिन ए.एन.एम. के क्षेत्र में आशा कार्य कर रही हैं) द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जायेगा।

7.1 आयोजन स्थल- शहरी आशा मासिक बैठक हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत सुविधा जैसे बैठने का स्थान, पेय जल की सुविधा, विद्युत सुविधा, क्रियाशील शौचालय आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। बैठक के पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आयोजन स्थल में लॉजिस्टिक जैसे दरी, जग, गिलास आदि का अभाव है तो इस हेतु कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में प्रभारी चिकित्साअधिकारी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियुक्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, शहरी स्वास्थ्य से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिए।

7.2 शहरी आशा मासिक बैठक की माइक्रो प्लानिंग- मासिक बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह की 25 तारीख को किया जाएगा। यदि माह की 25 तारीख को अवकाश अथवा टीकाकरण दिवस है तो अगले कार्यदिवस को बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी चिकित्साअधिकारी बैठक की तारीख में परिवर्तन की सूचना समस्त प्रतिभागियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को समय से उपलब्ध कराएंगे। बैठक का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया

जाना चाहिए आशाओं की बैठक समय से पूर्ण कर ली जाये ताकि उनके आवागमन में कठिनाई ना हो।

शहरी आशाओं की अन्य सामूहिक गतिविधियां इस प्रकार से नियोजित की जानी चाहिए जिससे शहरी आशा मासिक बैठक में लक्षित आशाओं का शत प्रतिशत प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उस दिन कोई और गतिविधि न रखी जाये जिसमें आशाओं के प्रतिभाग की आवश्यकता हो। यदि अपरिहार्य कारण से किसी शहरी आशा द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो ए.एन.एम. संबंधित आशा को बैठक की कार्यवाही से अवश्य अवगत कराये। इस स्थिति में आशा को मासिक बैठक हेतु अनुमोदित प्रतिपूर्ति राशि (रु0 150/-) देय नहीं होगी।

7.3 बैठक का एजेण्डा- प्रत्येक माह मासिक बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशन में एक एजेण्डा तैयार किया जायेगा।

क्र.सं.	विषय-वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	आशा के कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा व उसका निराकरण
3	अरबन हेल्थ इन्डेक्स रजिस्टर (यू.एच.आई.आर.)/आशा पेमेंट वाउचर/संबंधित प्रारूपों का अवलोकन एवं चर्चा
4	सम्बन्धित माह में आयोजित होने वाले अभियानों, विशेष दिवसों जैसे-विश्व स्तनपान दिवस, मातृ स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस आदि पर आशाओं की क्षमता वर्धन, राज्य एवं जनपद स्तर से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों पर चर्चा।
5	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
6	शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली आशाओं को प्रोत्साहित करना
7	आशा मासिक बैठक के दौरान गत माह आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचरों के सापेक्ष आशाओं के खातों में स्थानान्तरित की गयी धनराशि के संबंध में आशाओं को अवश्य अवगत कराना चाहिए। यदि किसी आशा द्वारा जमा किये गये वाउचर एवं स्थानान्तरित की गयी धनराशि में अन्तर है तो उसका कारण अभियुक्त कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए

बैठक के प्रारम्भ में समस्त प्रतिभागियों का पंजीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। प्रत्येक मासिक बैठक के लिये अलग रजिस्टर बनाया जाना चाहिये। आशा के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति दूसरे पेज में अंकित किया जाना चाहिए। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत होगा-

बैठक की तिथि..... स्थान..... क्लस्टर का नाम.....

क्र.सं.	शहरी आशा का नाम	कार्यक्षेत्र	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					
2.					

क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	मोबाइल नं0	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					
2.					

8. शहरी आशाओं हेतु यूनिफार्म दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश-

शहरी आशा कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश 2017-18



भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2017-18 के FMR Code P.6.1.5.A के अन्तर्गत शहरी आशा यूनिफार्म हेतु रु0 450/- प्रति आशा की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके दिये बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रु0 450/- का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जायेगा।

- 8.1 आशाओं को यूनिफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है। यह साड़ी क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉर्डर होगा।
- 8.2 जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार-कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार-कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा खरीदा जा सकता है।
- 8.3 प्रत्येक आशा उपरोक्त रंग के अनुसार साड़ी अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा स्वयं खरीदेगी।
- 8.4 आशाओं द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।
- 8.5 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से DCAA द्वारा प्रतिमाह होने वाली आशा बैठकों में प्रतिभाग कर आशाओं द्वारा यूनिफार्म हेतु साड़ियों अथवा सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा का क्रय व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी गयी है।
- 8.6 आशाओं की यूनिफार्म हेतु लक्षित आशाओं के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत आशाओं को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि DHS में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन शहरी आशाओं के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8.7 इस मद में गत वर्ष 2016-17 में धनराशि अवमुक्त की गयी थी कई जनपदों द्वारा इस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है। जिन जनपदों द्वारा विगत वर्ष इस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है एवं वर्ष 2017-18 हेतु कमिटेड के रूप में रक्षित किया गया है। उन जनपदों द्वारा इस कमिटेड धनराशि का ही उपयोग किया जाए एवं इस मद में वर्ष 2017-18 में अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किया जाय।
9. **आशा डाटाबेस-** ग्रामीण क्षेत्र के समान शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाली आशाओं का डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार किया जाना है। उक्त डाटाबेस में आशाओं के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी जैसे कार्यक्षेत्र आच्छादित आबादी, शैक्षिक योग्यता, एकाउण्ट नं0, आधार कार्ड नं0, मोबाइल नं0, प्रशिक्षण की स्थिति आदि अंकित किये जाएंगे। उक्त डाटाबेस जनपद स्तर पर डी.सी.ए.ए. द्वारा अधुनान्त किया जाएगा। डाटाबेस हेतु एक्सेल शीट एवं दिशा-निर्देश शहरी स्वास्थ्य अनुभाग/कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपदों को पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है। (संलग्नक-7)
10. **शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर-** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के अंगीलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका उपलब्ध कराया जाना है। उक्त पंजिका के द्वारा न केवल आशा को अपने क्षेत्र में किये जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध



में सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता मिलेगी वरन् आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि हेतु सत्यापन में भी सहायता मिलेगी।

10.1 शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या P.6.1.5.C के अन्तर्गत रू0 200/- प्रति आशा की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

10.2 रजिस्टर का मुद्रण हेतु निम्न स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाना है—

क्र.सं.	विवरण	साइज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. x 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ-2 स्टेप्लड	28 से.मी. x 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय नियमों एवं ऑपरेशनल गाइडलाईन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रों का मुद्रण एवं वितरण करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
(डा०नीना गुप्ता)
परिवार कल्याण
तद्दिनांक—

पू०प०सं:प०क०-13/सं०नि०न०/श०आ०-दि०नि०/52/2017-18/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ०प्र० लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
10. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(नोडल एन०यू०एच०एम०) उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय अर्बन हेल्थ कन्सल्टेन्ट, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जनपदीय अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।

(डा०नीना गुप्ता)
परिवार कल्याण

में सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता मिलेगी वरन् आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि हेतु सत्यापन में भी सहायता मिलेगी।

10.1 शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या P.6.1.5.C के अन्तर्गत रू0 200 /- प्रति आशा की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

10.2 रजिस्टर का मुद्रण हेतु निम्न स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाना है-

क्र.सं.	विवरण	साइज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. x 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ-2 स्टेप्लड	23 से.मी. x 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय नियमों एवं ऑपरेशनल गाइडलाईन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रों का मुद्रण एवं वितरण करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

3363-75-437 (डा0नीना गुप्ता)
परिवार कल्याण
तद्दिनांक-

पू0प0सं:प0क0-13 / सं0नि0न0 / श0आ0-दि0नि0 / 52 / 2017-18 /

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त चिकित्सा वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें तथा व्यय विवरण समय से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
10. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दिशा-निर्देशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
11. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(नोडल एन0यू0एच0एम0) उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मण्डलीय अर्बन हेल्थ कन्सल्टेन्ट, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जनपदीय अर्बन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।

(डा0नीना गुप्ता)
परिवार कल्याण

(Handwritten signatures)

शहरी आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रपत्र-1 (क)

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम

शहरी आशा का नाम वार्ड का नाम माह

बैंक का नाम खाता संख्या IFS कोड

क्र0 सं0	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रुपये में)	माह में किया गया कार्य (हाँ अथवा नहीं लिखें)	माह में कुल अनुमन्य राशि	मिळने माह में शेष भुगतान का विवरण	कुल अनुमन्य राशि (6+7)	भुगतान का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर		200					
2	महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर		150					
3	शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा-व्यय		150					
4	वार्ड सर्वे को अद्यतन करना		100					
5	एडीशनल टीज मद (नियमित गतिविधियाँ)	शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	100					
6		टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100					
7		ANC लाभार्थियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100					
8		योग्य दम्पतियों को सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	100					

शहरी आशा के हस्ताक्षर

ए0एन0एम0 का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नगरीय प्रमारी विक्रिसा अधिकारी



शहरी आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रपत्र-1(ख)

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम

शहरी आशा का नाम वार्ड का नाम माह

बैंक का नाम खाता संख्या IFS कोड

क्र0 सं0	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रूपये में)	माह में किया गया कार्य (लाभार्थियों संख्या)	माह में कुल अनुमन्य राशि	पिछले माह में शेष भुगतान का विवरण	कुल अनुमन्य राशि (6+7)	भुगतान का विवरण
1			2					
1		प्रसव पूर्व देखभाल के साथ संस्थागत प्रसव में सहायता करने पर	200	4	5	6	7	8
2		प्रसव पूर्व देखभाल के बिना संस्थागत प्रसव में सहायता करने पर	200					
3	मातृ स्वास्थ्य	मातृ मृत्यु को सूचना	200					
4		अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केन्द्र पर परीक्षण,भर्ती और संस्थागत प्रसव कराने के साथ MCTS/ RCH पोटल पर नदजतल कराने पर (प्रति केस)	300					
5		दो बच्चों के पश्चात् रणायी गर्भनिरोधक साधन हेतु प्रेरित करने पर	1000					
6	परिवार कल्याण	शादी के पश्चात् 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500					
7		प्रथम बच्चे से द्वितीय बच्चे के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रेरित करने पर	500					
8		लाभार्थी को PNUCD लगवाने हेतु स्वास्थ्य इकाई पर ले जाने/सहयोग करने पर	150					
9	टीकाकरण	टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु (प्रति सत्र)	150					
10		0-1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	100					
11		1-2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षीकरण हेतु (प्रति बच्चा)	50					
12	अन्य-1							
13	अन्य-2							
14	अन्य-3							

शहरी आशा के हस्ताक्षर

POपुन0रम0 का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नगरीय प्रमारी विकित्सा अधिकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद
शहरी आशाओं को विभिन्न मर्दानों पर माह में किये जाने वाले कुल भुगतान
प्रपत्र-2

प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम -

माह -

क्र.सं.	आशा का नाम	आशा का आईडी नम्बर	माह स्वास्थ्य			परिवार कल्याण	टीकाकरण कार्यक्रम	एकीकृतित्व मंद (निर्धारित गतिविधियाँ हेतु)	अन्य-1	अन्य-2	अन्य-3	माह के कुल भुगतान	क्रमिक भुगतान की गई राशि
			के.एन.ए.आई	MDR	MDR								
1			200	200	200	अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केंद्र पर परीक्षण, भर्ती और संस्थागत प्रसव कराने के साथ डॉ. के. ए. पोर्टल पर मजदतल कराने पर (प्रति केस)	महिला नसबन्दी	200					
2						प्रसव पूर्व देखभाल हेतु	पुरुष नसबन्दी	300					
3						संस्थागत प्रसव में सहायता	PPIUCD	150					
4						माल मृत्यु की सूचना	3 साल का अन्तराल हेतु	500					
5						अति जोखिम गर्भवती महिला का उच्चस्तरीय केंद्र पर परीक्षण, भर्ती और संस्थागत प्रसव कराने के साथ डॉ. के. ए. पोर्टल पर मजदतल कराने पर (प्रति केस)	दो बच्चों के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक	1000					
6						महिला नसबन्दी	शादी के पश्चात् 2 साल तक अन्तराल	500					
7						पुरुष नसबन्दी	पल्स पोलियो कार्यक्रम	100					
8						PPIUCD	टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु	150					
9						3 साल का अन्तराल हेतु	पूर्ण प्रतिरक्षण (0-1)	100					
10						दो बच्चों के पश्चात् स्थायी गर्भनिरोधक	पूर्ण प्रतिरक्षण (1-2)	50					
						शादी के पश्चात् 2 साल तक अन्तराल	उHND लाभार्थियों को प्रेरित एवं उपस्थित रहने	200					
						पल्स पोलियो कार्यक्रम	महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने	150					
						टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु	मासिक समीक्षा बैठक हेतु	150					
						पूर्ण प्रतिरक्षण (0-1)	परिवारों की सूची व 6 माह के पश्चात अद्यतन	100					
						पूर्ण प्रतिरक्षण (1-2)	UHIR अद्यतन व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण	100					
						उHND लाभार्थियों को प्रेरित एवं उपस्थित रहने	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना	100					
						महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने	ANC लाभार्थियों की सूची बनाना	100					
						मासिक समीक्षा बैठक हेतु	योग्य दम्पतियों का सूची बनाना	100					
						परिवारों की सूची व 6 माह के पश्चात अद्यतन	अन्य-1						
						UHIR अद्यतन व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण	अन्य-2						
						टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना	अन्य-3						
						ANC लाभार्थियों की सूची बनाना							
						योग्य दम्पतियों का सूची बनाना							

(Handwritten signatures and initials)

प्रपत्र-3

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

शहरी आशाओं को विभिन्न मदों पर माह में किये जाने वाले कुल भुगतान

वर्ष माह

जनपद का नाम	क0स0	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	जननी सुरक्षा योजना			परिवार कल्याण			नियमित टीकाकरण			एन0आर0एम0 एडिशनलिटी मद			अन्य			
			प्राप्त राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	प्राप्त राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	प्राप्त राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि	प्राप्त राशि	आशाओं का भुगतान की गई राशि	क्रमिक भुगतान की गई राशि				
	1																	
	2																	
	3																	
	4																	
	5																	
	6																	
	7																	
	8																	
	9																	
	10																	





राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जनपद
 शहरी आशाओं को विभिन्न मदों पर माह में किये जाने वाले कुल भुगतान
 वर्ष माह

कुल योग	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	क0स0	
											पी0एच0सी0 का नाम	मद
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	जननी सुरक्षा योजना
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	जे0एस0वाई
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	एम0डी0आर 0
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	महिला नसबन्दी
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	पुरुष नसबन्दी
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	PRUICD
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	3 साल का अन्तराल हेतु
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	दो बच्चों के परवार स्थापी गर्भनिरोधक
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	शान्दी के परवार 2 साल तक अन्तराल
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	पल्ल पोखियो कार्यक्रम
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	टीकाकरण के लिए बच्चों को प्रेरित करने हेतु
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	पूर्ण प्रतिरक्षण (0-1)
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	पूर्ण प्रतिरक्षण (1-2)
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	परिवार कल्याण
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	अन्य-1
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	अन्य-2
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	अन्य-3
											आशाओं का भुगतान की गई राशि	अन्य-3
											क्रमिक भुगतान की गई राशि	अन्य-3

(Handwritten signature and initials)

आशा ड्रग किट में उपलब्ध दवाओं की खुराक और उन्हें दिये जाने की समय सारणी

क्र० सं०	दवा	प्रभाव और उपयोग	उम्र के अनुसार खुराक	दुष्प्रभाव	
1	पैरासीटामाल की गोलियां 1 गोली = 500 मि०ग्रा० अवधि केवल 3 दिनों के लिए ही दी जाए। आवृत्ति अधिकतम 4 बार, 6 घण्टें के अन्तराल में	बुखार और दर्द को कम करती है। बुखार, सिरदर्द, पीठ दर्द, शरीर दर्द इत्यादि में उपयोगी।	12 वर्ष से अधिक: दिन में 3 से 4 बार 1 या 2 गोली	कोई दुष्प्रभाव नहीं। यदि एक साथ कई गोलियां खा ली जाएं तो लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। दवा को बच्चों की पहुँच से दूर रखें; केवल खाना खाने के बाद ही ली जाए।	
			8 से 12 वर्ष: दिन में 3 से 4 बार 1 गोली		
			4 से 8 वर्ष: दिन में 3 से 4 आधी गोली		
			3 वर्ष से 5 वर्ष तक (वजन 14 से 19 किलोग्राम): दिन में अधिकतम 4 बार आधी गोली		
			दो महीने से 3 वर्ष तक (वजन 4 से 14 किलोग्राम): दिन में अधिकतम 4 बार 1 चौथाई गोली		
2	डाइसाइक्लोमीन 1 गोली = 20 मि०ग्रा०	पेट दर्द व ऐंठन	वयस्क: 1 गोली दिन में 3 बार निषेध-सबल बाय, मूत्र संचय, आंत्र अवरोध, दुग्धावस्था, हृदय विकार, छोटे बच्चे में नहीं दे। यकृत विकार व वृक्क विकार के रोगियों को सावधानी पूर्वक	मुँह सूखना, अत्याधिक प्यास, सिर चकराना, धूमल दृष्टि, तीव्र हृदय गति, घबराहट आदि	
3	आयरन की गोलियां (वयस्क) 16 मि०ग्रा० एलीमेण्टल आयरन	एनीमिया की रोकथाम, एनीमिया का उपचार	एनीमिया की रोकथाम के लिए 100 दिनों तक 1 गोली उपचार के लिए 100 दिनों तक 2 गोलियां	खाना खाने के बाद ली जानी चाहिए, पेटखराब हो सकता है, मल कड़ा और काले रंग का हो सकता है।	
4	ओ०आर०एस० पैकेट	हमारे शरीर में नमक और पानी को पूरा करता है	जितना आवश्यक हो। वयस्क: पतली दस्त के बाद आधा गिलास	24 घण्टें के बाद ओ०आर०एस० का घोल फेंक दें। यदि पैकेट जम गया हो तो भी उसका इस्तेमाल न करें।	
			निर्जलीकरण के बिना दस्त		2 माह से कम की उम्र: हर पतली दस्त के बाद 5 छोट चम्मच
			निर्जलीकरण सहित दस्त		2 माह से 2 वर्ष तक की उम्र तक हर पतली दस्त के बाद आधा कप (100मि०ली०)
					बड़ी उम्र के बच्चे हर पतली दस्त के बाद 1 कप (200मि०ली०) तक घोल के पी सकते हैं
		4 माह तक, वजन 6 कि०ग्राम से कम, 200 से 400 मि०ली० या 2 कप			
		4 माह से 12 माह तक वजन 6 से 12 कि०ग्रा० के बीच, (400से 700मि०ली०) या 3 कप			
		12 माह से 2 वर्ष: वजन 10 से 12 कि०ग्रा० के बीच (700 से 900 मि०ली०) या 5 कप			
		2-5 वर्ष वजन 12 से 19कि०ग्रा० के बीच (900 से 1400 मि०ली०) या 7 कप			
5	निश्चय किट	गर्भावस्था सुनिश्चित करने हेतु	<ul style="list-style-type: none"> प्रातः काल उठते ही एक साफ और सूखी कांच या प्लारिस्टिक की 		




			<p>बोटल में पेशाब जमा करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> इसमें से 2 बूंद पेशाब नमूना कूप में डाल लें 5 मिनट प्रतीक्षा करें 	
			यदि परीक्षण क्षेत्र (टी) में 2 जामुनी रेखाएं दिखाई दे तो इसका अर्थ महिला गर्भवती है।	
			यदि परीक्षण क्षेत्र (टी) में 1 जामुनी रेखाएं दिखाई दे तो इसका अर्थ महिला गर्भवती नहीं है।	
			यदि परीक्षण क्षेत्र (टी) में कोई रंगीन रेखा न दिखाई दे, तो अगले दिन सुबह एक नया गर्भ जाँच कार्ड लेकर दुबारा जाँच करें।	
6	खाने की गर्भ निरोधक गोलियां (चक्रों में)	अस्थायी गर्भ निरोधक साधन	<p>1 गोली रोज। प्रथम बार मासिक धर्म शुरू होने के 5वें दिन से शुरू करें तदपश्चात 1 पैकेट (20 गोलियां) समाप्त होने पर अगले दिन से नया पैकेट शुरू करें।</p> <p>स्तनपान करा रही माताएं, पीलिया रोग से ग्रसित महिला, ब्लड प्रेशर, लकवा, हृदय रोग से ग्रसित महिला एवं धूम्रपान करने वाली महिलाएं उपयोग न करें।</p>	
7	आपातकाल में गर्भनिरोधक गोली	केवल आपातकालीन स्थिति में यदि दम्पति कोई गर्भनिरोधक इस्तेमाल न कर रहा हो, बलात्कार की स्थिति में अथवा निरोध के फट जाने की स्थिति में, सहवास के 72 घण्टे के अन्दर उपयोग किया जा सकता है।	<p>निम्न स्थिति में प्रयोग न करें</p> <ul style="list-style-type: none"> सहवास के 72 घण्टे के पश्चात गर्भवती महिला स्तनपान करा रही माताएं, पीलिया रोग से ग्रसित महिला, ब्लड प्रेशर, लकवा, हृदय रोग से ग्रसित महिला एवं धूम्रपान करने वाली महिलाएं उपयोग न करें। 	पेडू में दर्द और कभी-कभी अत्याधिक रक्तस्राव
8	एण्टीसेप्टिक लोशन या मलहम	घाव के कीटाणुओं को मारता है	केवल बाहरी उपयोग हेतु घावों आदि को धुलने के लिए	अगर जरूरत से ज्यादा लगाया जाए तो जलन पैदा कर सकता है।

Details Of Urban ASHA Data Base

S/N	Name of District	Name of City	Name of UPH C	ID No. of ASHA	Name of U-ASHA	Husband's Name	Mobile no. of U-ASHA	Name of U-ASHA	Population Covered	Age	Caste Code	Educational qualification	Working Since (MM-YY)	Whether currently working- 1/0	If No Then what are the reason	Bank Account No. of U-ASHA	Name Of Bank	Name Of Branch	No. Of Adhar Card	8 days Training 0/1	6 & 7 Module Training 0/1	Post Test Mark	Monthly Payment	Total Payment in 2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Lucknow District	Mohhanlal Gang	Mohhanlal Gang		District Code/Block Code/U-ASHA Code	Smt. Anita	989922312	Sisend	1000	23	4	2	Aug-07	1	0	23331456661	SBI	Mohhanlal Gan	1	1				0

सामान्य दिशा - निर्देश आशा डाटा बेस भरने हेतु ...

- फाट - एरियल 2. साइज-10
- प्रारूप को किसी भी प्रकार से संशोधित न किया जाये।
- कॉलम संख्या-1 में क्रम संख्या विधिवत् भरी जाये।
- कॉलम संख्या-2 में जिले का नाम प्रत्येक लाइन में ही लिखा जाये, इसे मर्ज न किया जाये।
- कॉलम संख्या-3 में शहर का नाम प्रत्येक लाइन में ही लिखा जाये, इसे मर्ज न किया जाये।
- कॉलम संख्या-4 में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम लिखा जाये, इसे मर्ज न किया जाये।
- कॉलम संख्या-5 में आशा आईडी कोड संलग्न प्रपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार भरे।
- कॉलम संख्या-6 में आशा का नाम लिखा जाये।
- कॉलम संख्या-7 में आशा के पति का नाम लिखा जाये।
- कॉलम संख्या-8 में आशा का मोबाइल नम्बर लिखा जाये।
- कॉलम संख्या-9 में आशा के द्वारा आवेदनित किये जा रहे मलिन बस्ती का नाम लिखा जाये।
- कॉलम संख्या-10 में आशा द्वारा आवेदनित किये जा रहे मलिन बस्ती की जनसंख्या लिखी जाये।
- कॉलम संख्या-11 में आशा की उम्र अंकित की जाय।

- कॉलम संख्या-12 में आशा की जाति के नाम के स्थान पर जाति की कोड संख्या भरी जाये (उदाहरण के लिए-ओ0बी0सी0-4)
- कॉलम संख्या-13 में शैक्षिक योग्यता उपर दिये हुए कोड के अनुसार ही भरा जायेगा।
- कॉलम संख्या-14 में प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूर्ण करके कार्य शुरू करने का महीना व वर्ष लिखा जायेगा।
- कॉलम संख्या-15 में हाँ/नहीं के स्थान पर 0/1 ही भरा जायेगा। 0-नहीं, 1- हाँ
- कॉलम संख्या-16 में यदि आशा काम नहीं कर रही है तो उसका कारण उपर दिये गये कोड के अनुसार अंकित किया जाय।
- कॉलम संख्या-17 में आशा का बैंक खाता संख्या लिखा जायेगा।
- कॉलम संख्या-18 में आशा के बैंक का नाम लिखा जायेगा। (SBI/UBI/OBC/
- कॉलम संख्या-19 में शाखा का नाम लिखा जायेगा, किसी भी (रे) को मर्ज न किया जाये।
- कॉलम संख्या-20 में आशा के आधार कार्ड का न0 अक्षर लिखा जाये।
- कॉलम संख्या-21 में हाँ/नहीं के स्थान पर 0/1 ही भरा जायेगा। 0-नहीं, 1- हाँ
- कॉलम संख्या-22 में हाँ/नहीं के स्थान पर 0/1 ही भरा जायेगा। 0-नहीं, 1- हाँ
- कॉलम संख्या-23 में पोस्ट टेस्ट के मार्क्स को लिखा जाना है।
- कॉलम संख्या-24 मासिक भुगतान की राशि को लिखा जाना है।
- कॉलम संख्या-25 वार्षिक भुगतान की राशि को लिखा जाना है।

जनपद कोड तालिका के अनुसार

शहर का कोड तालिका के अनुसार

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कोड A से Z के क्रम में 01,02,03.....

अरबन आशा को कोड 01 से शुरू किया जाय

इस प्रकार एक आशा का कोड होगा (जनपद कोड शहर का कोड नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कोड अरबन आशा का कोड) 01010101

District & City Code for U-ASHA

Name of District	District Code	Name of City	City Code
Agra	01	Agra	01
Mainpuri	02	Mainpuri	02
Mathura	03	Mathura	03
		Vrindavan	04
		Kosi Kalan	05
Firozabad	04	Firozabad	06
		Shikohabad	07
		Tundla	08
Aligarh	05	Aligarh	09
		Atrauli	10
Etah	06	Etah	11
Kasganj	07	Kasganj	12
Hathras	08	Hathras	13
Fatehpur	09	Fatehpur	14
Allahabad	10	Allahabad	15
Pratapgarh	11	Bela Pratapgarh	16
Kaushambi	12	Manjhanpur	17
Shahjahanpur	13	Shahjahanpur	18
		Tilhar	19
Bareilly	14	Bareilly	20
		Faridpur	21
		Baheri	22
		Aonla	23
Budaun	15	Budaun	24
		Sahaswan	25
		Ujhani	26
Pilibhit	16	Pilibhit	27
		Bisalpur	28
Jalaun	17	Orai	29
		Jalaun	30
		Konch	31
		Kalpi	32
Jhansi	18	Jhansi	33
		Mauranipur	34
Lalitpur	19	Lalitpur	35
Hamirpur	20	Rath	36
Mahoba	21	Mahoba	37
Banda	22	Banda	38
Chitrakoot	23	Chitrakoot	39
Sultanpur	24	Sultanpur	40
Ambedkarnagar	25	Ambedkarnagar	41
		Tanda including Jalalpur	42
Faizabad	26	Faizabad	43
		Ayodhya	44
Barabanki	27	Nawabganj	45
Amethi	28	Amethi	46
Gonda	29	Gonda	47
Bahraich	30	Bahraich	48



Name of District	District Code	Name of City	City Code
Balrampur	31	Balrampur	49
Shrawasti	32	Shrawasti	50
Ballia	33	Ballia	51
Azamgarh	34	Azamgarh	52
		Mubarakpur	53
Mau	35	Maunath Bhanjan	54
Gorakhpur	36	Gorakhpur	55
Deoria	37	Deoria	56
Kushinagar	38	Padrauna	57
Maharajganj	39	Maharajganj	58
Basti	40	Basti	59
Sidharthnagar	41	Siddharthnagar	60
Sant Kabir Nagar	42	Khalilabad	61
Kanpur Nagar	43	Kanpur	62
Kanpur Dehat	44	Kanpur Dehat	63
Kannauj	45	Kannauj	64
		Chhibramau	65
Etawah	46	Etawah	66
Auraiya	47	Auraiya	67
Farrukhabad	48	Farrukhabad	68
Lucknow	49	Lucknow	69
Kheri	50	Lakhimpur	70
		Gola Gokaran Nath	71
Hardoi	51	Hardoi	72
		Shahabad	73
		Sandila	74
Rae Bareli	52	Rae Bareli	75
Sitapur	53	Sitapur	76
		Laharpur	77
		Biswan	78
		Mahmudabad	79
Unnao	54	Unnao	80
		Gangaghat	81
Ghaziabad	55	Ghaziabad	82
		Loni	83
		Khora	84
		Modinagar	85
		Muradnagar	86
GB Nagar	56	Noida	87
		Greater Noida	88
		Dadri	89
Meerut	57	Meerut	90
		Mawana	91
		Sardhana	92
Baghpat	58	Baghpat Baraut	93
		Baghpat	94
Bulandshahar	59	Bulandshahr	95
		Khurja	96
		Sikandrabad	97
		Jhangirabad	98
		Gulaothi	99

Name of District	District Code	Name of City	City Code
Hapur	60	Hapur	100
		Pilkhuwa	101
Saharanpur	61	Saharanpur	102
		Deoband	103
		Gangoh	104
Muzaffarnagar	62	Muzaffarnagar	105
		Khatauli	106
		Budhana	107
Shamli	63	Shamli	108
		Kairana	109
Bijnor	64	Nagina	110
		Bijnor	111
		Najibabad	112
		Chandpur	113
		Sherkot	114
		Kiratpur	115
		Seohara	116
		Dhampur	117
Moradabad	65	Moradabad	118
Rampur	66	Rampur	119
J.P Nagar	67	Amroha	120
		Hasanpur	121
		Gajraula	122
Sambhal	68	Chandausi	123
		Sambhal	124
Mirzapur	69	Mirzapur	125
Bhadohi (NPP)	70	Bhadohi	126
Sonabhadra	71	Sonbhadra	127
Varanasi	72	Varanasi	128
Chandauli	73	Mughalsarai	129
Ghazipur	74	Ghazipur	130
Jaunpur	75	Jaunpur	131

 . 